

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/सिविल लिस्ट/आकाशि/2023/

दिनांक: मई 2024

आदेश

राज्य सेवा के अधिकारियों (संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/प्राचार्य/ आचार्य/ सह-आचार्य/सहायक आचार्य/व्याख्याता RVRES/ शारीरिक शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष) की सिविल लिस्ट "CIVIL LIST 01-04-2024" दिनांक 27.05.2024 तक स्प्रेडशीट आवश्यक रूप से भरे जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देशों सहित जारी किया गया था किन्तु आज दिनांक तक अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा सिविल लिस्ट 2024 को पूर्ण रूप से नहीं भरा गया है अथवा भरा ही नहीं गया है।

आपको पुनः आदेशित किया जाता है कि राज्य सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में जारी सिविल लिस्ट 2024 को दिनांक 05.06.2024 तक आवश्यक रूप से भरी जानी सुनिश्चित करे अन्यथा राज्य सरकार को सिविल लिस्ट के सम्बन्ध में सूचना समय पर नहीं भिजवायी जाने के सम्बन्ध में आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें

(प्रो.केशव शर्मा)
संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/पी.एण्ड सी./रूसा/विधि/आई.टी./राजसेस/निजी संस्था/अकादमी/RVRES/SVS), आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर को पालनार्थ।
2. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/अजमेर/कोटा को पालनार्थ।
3. सहायक निदेशक(HRD) आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर को पालनार्थ।
4. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
5. वेबसाइट प्रभारी को प्रेषित कर लेख है कि इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें

(प्रो.केशव शर्मा)
संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

RajKaj Ref
7565162



Signature valid

Digitally signed by Keshav Sharma
Designation: Joint Director
Date: 2024.05.28 19:17:06 IST
Reason: Approved